These regulations have been notified by the SEBI in the Gazettee Extraordinary dated 14th November, 1998.

Amendments to Election Laws

241. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of LAW, JUSTIC AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government propose to bring about comprehensive amendments to the Election Laws of the country; and

(b) if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI M. THAMBI DURAI): (a) and (b) A set a proposals on electoral reforms was discussed by the Government with the political parties on 22.5.1998 and pursuant to a decision taken in that meeting, a High Powered Committee under the chairmanship of Shri Indrajit Gupta, Member of Parliament, has been constituted to suggest concrete measures for providing State Funding to recognized political parties. The Committee would also consider, the relatead proposals pertaining to maintenance of accounts by political parties and audit thereof, ban on donation by companies to political parties, inclusion of expenses of political parties in the election expenses of candidates for the purposes of ceiling on election expenses and empowering of Election Commission to fix ceiling on election expenses before every general election. After the receipt of the report, the Government would hold further discussions with political parties, The Government would thereafter consider giving effect to such proposals, on electoral[1] reforms on which consensus feas been arrived at amongst political parties.

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम,1969 के अन्तर्गत आने वाले प्रमुख निजी औद्योगिक घराने

242.**श्री गोपाल सिंह जी.सोलंकी** :

श्री दिलीप सिंह जूदेव:

क्या विधि,न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अद्यतन स्थिति के अनुसार एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम,1969 के अंतर्गत आने वाली प्रमुख निजी कम्पनियों तथा बड़े औद्योगिकी घरानों की राज्यवार कुल संख्या कितनी हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षो के दौरान प्रतिवर्ष इस अधिनियम का उल्लंघन करने वाले निजी क्षेत्र के 10 शीर्ष औद्योगिक घरानों के खिलाफ सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का अद्यतन ब्यौरा क्या हैं;

(ग) उनके द्वारा किए गए उल्लंघनों का ब्यौरा क्या है;और

(घ) उक्त अवधि के दौरान उनके द्वारा सरकार को मद-वार अदा की गई की राशि कितनी है और यदि नहीं,तो इसके क्या कारण हैं?

विधि,न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एम.तम्बी दुरई): (क) से (घ) 27.9.1991 से एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम,1969 के अध्याय III के भाग क को हटाए जाने के फलस्वरूप अब बड़े औद्योगिक घरानों को अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के पास पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है । इसलिए बड़े औद्योगिक घरानों से संबंधित आंकड़ों को कम्पनी कार्य विभाग द्वारा अलग से समेकित नहीं किया जाता है ।

न्यायाधीशों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

243.**श्री जनेश्वर मिश्र**: क्या विधि,न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के पद भारी संख्या में खाली पड़े हुए हैं;